<u>विशेष न्यायालय (सांसद व विधायक संबंधी आपराधिक प्रकरण)/</u>
<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, अम्बेडकरनगर</u>

उपस्थितः- "प्रियंका सिंह" उ०प्र० न्यायिक सेवा

फौजदारी वाद सं०- 162/2022, **सी०न०-** 161/2022

सीएनआर नं०- **UPAN**040002672022

सरकार ------------------------------ **अभियोजन**

बनाम

पवन कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० जगमोहन पाण्डेय
निवासी ग्राम-कोटवा मोहम्मद, थाना कोतवाली-अकबरपुर,
जनपद-अम्बेडकरनगर ---------------------------- **अभियुक्त**

मु०अ०सं०ः-193/2007
धाराः-186, 187, 188
व 291 भा०दं०सं०,
थानाः-कोतवाली-अकबरपुर,
जनपद-अम्बेडकरनगर।

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक वाद थाना कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-193/2007 में अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय के विरूद्ध प्रेषित आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० पर आधारित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा देवचन्द्र श्रीवास्तव मय लगाये गये पुलिस वालों के साथ नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर व परिसर के बाहर शांति यातायात व्यवस्था हेतु कल दिनांक 20.04.2007 को मौजूद था कि समय 01:40 बजे दिन में श्री पवन कुमार पाण्डेय पुत्र जगमोहन पाण्डेय निवासी कोटवा मोहम्मदपुर, थाना कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर जो अपने दल के 114 अकबरपुर विधान सभा के घोषित प्रत्याशी है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार के पत्र सं०-464/NST/2007 PL No.-1 दिनांकित 07.01.2007 तथा श्री रामकृष्ण उत्तम, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के पत्र सं०-205/जे०ए०/शांति व्यवस्था/2007 दिनांक

09.04.2007 द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-144 दं०प्र०सं० दिनांक 09.04.2007 से 20.05.2007 तक प्रभावी है एवं जिसका प्रचार-प्रसार भी विभिन्न माध्यमों से किया गया है एवं आदेश की प्रतिलिपि समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भेजी गयी है, का उल्लंघन करते हुए एवं अपने साथ कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को जिनकी संख्या 1200-1400 के साथ जुलूस रूप में नारेबाजी करते हुए अकबरपुर-टाण्डा मार्ग से होते हुए नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास आये। जलुस के कारण अकबरपुर-टाण्डा मार्ग का यातायात तथा दीवानी कचेहरी के आने-जाने का मार्ग अवरूद्ध हो गया एवं उक्त मार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को क्षोभ हो रहा था। श्री पवन कुमार पाण्डेय उक्त से जुलूस निकालने की व लाने की अनुमति मांगी गयी तो नहीं दिखा सके। उल्लेखनीय है कि उपजिलाधिकारी, सदर, अम्बेडकरनगर द्वारा भी जुलूस निकालने व लाने की अनुमति कोई आदेश कोतवाली में नहीं भेजा गया था। जबकि स०प्रा० के नामांकन तिथि पर सभा द्वारा आवेदक पर अनुमति प्रदान करते हुए उसकी प्रति थाने पर भेजी गयी थी। उल्लेखनीय है कि धारा-144 दं०प्र०सं० के आदेश बिन्दु सं०-4 में जो स्पष्ट रूप से अंकित है कि जुलूस की सूचना समय से पुलिस अधिकारियों को भी दी जायेगी। परन्तु कोई सूचना प्रत्याशी श्री पवन कुमार पाण्डेय ने उपजिलाधिकारी, सदर, अम्बेडकरनगर द्वारा नहीं दी गयी थी। यहाँ उल्लेखनीय समजरूरी है कि उपजिलाधिकारी, सदर, अम्बेडकरनगर द्वारा श्री पवन कुमार पाण्डेय को प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक लॉ कालेज अकबरपुर पर ही सभा करने की ही अनुमति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डाली। लोक सेवक की सन्धमता हेतु आबद्ध होते हुये भी सतपल करने का लोक किया। धारा-144 दं०प्र०सं० का उल्लंघन किया तथा जुलूस निकालकर जनपद के प्रमुख मार्गों को जाम किया। जिससे उस पर आने जाने वाले लोगों में क्षोभ हुआ तथा जाने में बाधा पड़ी।"

3. वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना-कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में मु०अ०सं०-193/2007 अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण की विवेचना की गयी। विवेचनोपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचक द्वारा आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० न्यायालय प्रेषित किया गया।

4. थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप-पत्र पर न्यायालय द्वारा

प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन आदि भेजे गये। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया तथा अपने बंध पत्र व जमानतनामें दाखिल किये, तदोपरान्त उसे धारा-207 दं०प्र०सं० के तहत नकलें प्रदान की गयी।

5. तत्पश्चात अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय के विरूद्ध दिनांक 03.10.2020 को आरोप अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० विरचित किया गया। अभियुक्त ने विरचित आरोप से इन्कार किया व विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन कथनाक के समर्थन में मात्र साक्षी पी०डब्लू० 1 एस०आई० श्री प्रकाश सिंह, पी०डब्लू० 2 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक कोमल नाथ सिंह व पी०डब्लू० 3 हे०कां० चन्द्रिका यादव को न्यायालय के समक्ष सशपथ परीक्षित कराया तथा अन्य साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद परीक्षित न कराने के कारण शेष साक्ष्य का अवसर दिनांक 15.11.2022 को समाप्त किया गया।

7. अभियोजन प्रपत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-क-1, नकल रपट प्रदर्श-क-2, आरोप-पत्र प्रदर्श-क-3, नक्शा नजरी प्रदर्श-क-4 व समस्त केस डायरी को प्रस्तुत किया गया है।

8. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य संक्षेप में निम्नवत हैः-

पी०डब्लू० 1 एस०आई० श्रीप्रकाश सिंह ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "दिनांक 22.04.2007 को थाना कोतवाली-अकबरपुर में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। वादी मुकदमा श्री एस०एच०ओ० श्री डी०सी० श्रीवास्तव के लिखित तहरीर पर मुकदमा अ०सं०-193/2007 अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० बनाम पवन कुमार पाण्डेय पंजीकृत किया गया है। जिसकी जी०डी० में उल्लेख रपट नं०-3 समय 00:10 पर अंकित किया गया था। मूल के साथ चिक की छायाप्रति व कार्बन प्रति तथा जी०डी० मूल के साथ तैयार कार्बन प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। जो मेरे हस्तलेख में है और मेरे द्वारा तैयार किया गया है। जो कागज सं०-10ब/7 व 10ब/8 संलग्न पत्रावली है, जिस पर **प्रदर्श-क-1** डाला गया है। कायमी जी०डी० नकल रपट सं०-3 दिनांक 22.04.2007 जो लेख हस्ताक्षर में है। जिसकी कार्बन प्रति कागज सं०-4अ/1 संलग्न पत्रावली है। जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है। जिस पर **प्रदर्श-क-2** डाला गया।"

9. उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि, "मुझे याद नहीं है कि इस मुकदमे के पहले मैंने कौन मुकदमा लिखा था और इस मुकदमे के बाद

कौन सा मुकदमा लिखा, ये भी याद नहीं। इस मुकदमे के जो वादी है, उनके साथ मैंने काम किया है, वह उस समय मेरे प्रभारी निरीक्षक थे। घटना के संबंध में मूल तहरीर दिनांक 22.04.2007 को समय 00:10 पर मिली। ये तहरीर मुझे प्रभारी निरीक्षक ने दिया था। घटना किस तारीख की है, इस समय याद नहीं है। पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। घटना से दो दिन बाद प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) लिखी गयी। विलम्ब का कारण मैंने प्रभारी निरीक्षक को पूँछा था। जिसका उल्लेख चिक में अंकित है। एफ०आई०आर० विलम्ब से लिखी गयी थी। मूल तहरीर में विलम्ब का कारण नहीं लिखा है। मूल चिक एफ०आई०आर० में वादी के हस्ताक्षर कराये थे। मूल चिक पत्रावली पर नहीं है। तहरीर, वादी मुकदमा ने कब दिया, इसका इन्द्राज हम जी०डी० में करते हैं। इस समय मूल जी०डी० मेरे सामने नहीं है। यह कहना गलत है कि सरकारी तत्व के दबाव में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। यह भी कहना गलत है कि कोई घटना घटित न हुयी हो और मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

10. **पी०डब्लू० 2 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक कोमल नाथ सिंह** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि, "मैं वर्ष 2007 में थाना कोतवाली-अकबरपुर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। मु०अ०सं०-193/2007 अन्तर्गत धारा-186, 188 व 291 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली-अकबरपुर, राज्य बनाम पवन पाण्डेय से संबंधित मुकदमे में मेरे पूर्व विवेचक धीरेन्द्र गौतम के द्वारा की जा रही थी। दिनांक 10.08.2007 को उक्त अभियुक्त की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण किया गया। जिसमें पर्चा नं०-3 जिरह किया गया। पूर्व विवेचक के प्रथम अवलोकन अंकित है। दिनांक 13.09.2007 को पर्चा नं०-4 जिसमें बयान मुकदमा वादी देवचन्द श्रीप्रकाश का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०-5 दिनांक 22.09.2007 गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। पर्चा नं०-6 दिनांक 08.10.2007 गिरफ्तारी दबिश। पर्चा नं०-7 दिनांक 15.10.2007 दबिश दी गयी। पर्चा नं०-7 दिनांक 17.10.2007 बयान गवाह चन्द्रिका व मृतसेन अंकित है। पर्चा नं०-9 दिनांक 23.10.2007 दबिश दी गयी। पर्चा नं०-10 दिनांक 29.10.2007 दबिश दी गयी। पर्चा नं०-11 दिनांक 07.11.2007 धारा-82 का तामीला। पर्चा नं०-12 दिनांक 23.11.2007 बयान अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय। इसमें पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर पवन कुमार पाण्डेय के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। आरोप-पत्र मेरे हस्तलेख में है। जिस पर **प्रदर्श-क-3** डाला गया। उक्त अभियुक्त का नक्शा नजरी मेरे पूर्व विवेचक धीरेन्द्र गौतम के हस्तलेख में है। जिसका मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श-क-

4 डाला गया। न्यायालय की अनुमित से उपनिरीक्षक धीरेन्द्र गौतम का नक्शा नजरी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दर्ज किया गया।"

11. उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि, "वर्ष 2007 में चुनाव नामांकन के समय मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी। वर्ष 2007 में मैं कोतवाली अकबरपुर में तैनात था। मुझे याद नहीं है कि कोतवाली अकबरपुर में किस सन् में तैनात था। घटना वाले दिन मेरी ड्यूटी कोतवाली में ही थी। विधान सभा चुनाव वर्ष 2007 में चुनाव के समय किस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मैं नहीं बता सकता। मैं इस मुकदमे की विवेचना दिनांक 10.08.2007 को ग्रहण किया था। इस मुकदमे का प्रारम्भिक विवेचक मैं नहीं था। प्रारम्भिक विवेचक धीरेन्द्र गौतम थे। धीरेन्द्र गौतम द्वारा दो पर्चे पर्चा नं०-1 व पर्चा नं०-2 किता किया गया था। उन्हीं के द्वारा ही नक्शा नजरी बनाया गया था तथा बयान भी अंकित किये गये थे। जिस दिन मैं विवेचना ग्रहण किया, उस दिन किसी का बयान नहीं लिया था। जिस दिन मैंने जो विवेचना किया, उस दिन की तश्कीरा जी०डी० में अंकित नहीं किया है। जिस दिन जो विवेचना मैंने किया, उस दिन के पर्चे में विवेचना शुरू करने व समाप्त करने का समय अंकित नहीं किया है। इस मुकदमे से संबंधित घटना स्थल का निरीक्षण दौरान विवेचना मैंने नहीं किया था। मैंने विवेचना ग्रहण करने के पश्चात घटना स्थल के इर्द गिर्द कई दुकाने हैं। जहाँ पर लोग रहते हैं। मैंने किसी का बयान अंकित नहीं किया था। नक्शा नजरी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। घटना स्थल के अगल-बगल के लोगों का मैं भी कोई बयान अंकित नहीं किया है। मैं पर्चा नं०-3 से पर्चा नं०-12 तक किता किया है। मेरे द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय दाखिल किया गया है। घटना दिनांक 20.04.2007 की सूचना दिनांक 22.04.2007 की है। इसके बारे में वादी मुकदमा से कोई पूँछताछ नहीं किया था। मैंने गवाह चन्द्रिका यादव व मित्रसेन सिंह का बयान अंकित किया। जिसमें घटना के समय का जिक्र नहीं है। आरोप-पत्र मेरे द्वारा लगाया गया है। परन्तु आरोप-पत्र में पूर्व विवेचक धीरेन्द्र गौतम का नाम साक्षी के सूची में अंकित नहीं किया गया है। दौरान विवेचना वादी द्वारा आचार संहिता के नोटिफिकेशन की प्रति मुझे नहीं दी गयी थी। नोटिफिकेशन की प्रति पत्रावली में मैंने दाखिल नहीं किया है। इस मुकदमे में पर्चा नं०-1 व 2 को छोड़कर शेष पर्चे मेरे हस्तलेख में किता किया गया है। यह कहना सही है कि मौके पर जाकर कोई विवेचना नहीं किया है। यह कहना गलत है कि शासन के दबाव में आकर मैंने गलत तथ्यों के आधार पर आरोप-पत्र लगा दिया है।"

12. **पी०डब्लू० 3 हे०कां० चन्द्रिका यादव** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि, "दिनांक 20.04.2007 को मैं तथा कां० मित्रसेन सिंह व प्रभारी निरीक्षक देवचन्द्र श्रीप्रकाश के हमराही में था। कोतवाली अकबरपुर में मेरी तैनाती कां० के पद पर थी। चुनाव के सिलसिले में धारा-144 दं०प्र०सं० जनपद में लगी थी तथा मिटिंग आदि के लिए पाबन्द लगाया गया था। बिना परमिशन के सभा आदि की मनाही थी। मैं व मित्रसेन सिंह प्रभारी निरीक्षक के साथ नामांकन ड्यूटी शान्ति व्यवस्था की ड्यूटी में थे। पवन कुमार पाण्डेय अपने साथ 12 सौ से 14 सौ के लगभग कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर अपना नामांकन अकबरपुर विधान सभा, अकबरपुर विधान सभा से अपना नामांकन व पर्चा भरने आये थे तथा जुलूस भी निकाले थे। जुलूस के कारण मार्ग अवरूद्ध था। लोगों के आने-जाने में कठिनाई थी। जुलूस का परमिशन नहीं था। इनके द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गयी थी व पवन तथा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लोक कृत में बाधा डाली गयी व धारा-144 दं०प्र०सं० का उल्लंघन किया गया। यही बयान मैं विवेचक को दिया था।"

13. उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि, "घटना के समय वादी मुकदमा डी०सी० श्रीवास्तव कोतवाली अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक थे। मैं उनका हमराही था और कौन-कौन से हमराही ओर थे, हमें याद नहीं है। घटना के समय किसकी सरकार थी, हमें नहीं पता है। शायद बसपा की सरकार थी। घटना के संबंध में जो तहरीर दी गयी है। वह मेरे सामने नहीं लिखी गयी है। किस तारीख को लिखी गयी है, वह भी नहीं जानता हूँ। हमराही होने के कारण जैसा वादी मुकदमा ने कहा वैसा हमने बयान दिया। हमराही होने के कारण मैं प्रभारी निरीक्षक के साथ-साथ रहता था। मेरी ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब के साथ लगी थी। नामांकन स्थल पर नहीं थी। नामांकन स्थल से कुछ दूरी पर अकबरपुर व टाण्डा का मुख्य मार्ग है। नामांकन के समय मुख्य मार्ग बन्द नहीं किया गया। आने-जाने वाले लोग आ जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर बैरीकेटिंग नहीं की गयी थी। मुख्य मार्ग के पूरब तरफ सारी ऑफिस है। वहाँ से भी लोग आ-जा रहे थे। पूरे दिन कचेहरी, जिला अस्पताल व विकास भवन आदि कार्यालय से आने-जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। नामांकन स्थल पर अन्दर नामांकन करते प्रत्याशी व प्रस्तावक जाते हैं और वहीं गये थे। वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। पवन पाण्डेय के नामांकन में उनके साथ कितने कार्यकर्ता थे, मैं नहीं बता सकता। घटना किस जगह की है। इसका कोई निश्चित स्थल नहीं है। इस मुकदमे में हमें कोई

व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि सरकारी तंत्र के दबाव में यह मुकदमा लिखा गया। यह भी कहना गलत है कि कोई घटना नहीं घटी है। मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

14. अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय के बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 13.12.2022 को अंकित किये गये जिसमें अभियोजन कथानक को झूठा बताते हुए प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया गया, मुकदमा राजनैतिक कारण के चलना बताया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया है।

15. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

निष्कर्ष

16. अभियुक्त पर भा०दं०सं० की धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 20.04.2007 को समय 01:40 बजे दिन में बहद स्थान राबी बहाउद्दीनपुर, थाना कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में लोप डालकर बाधा डाली गयी एवं प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करने के साथ न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात उसको चालू रखा गया।

17. विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियोजन साक्षियों द्वारा घटनाक्रम का समर्थन किया गया है और अभियुक्त पर आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः उसे दोषसिद्ध किया जाये।

18. विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष का तर्क है कि किसी भी साक्षी द्वारा घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है और अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी और न ही जान से मारने की धमकी जैसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

19. भारतीय दंड संहिता की धारा-186 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

20. भारतीय दंड संहिता की धारा-187 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्त्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुँचाने के लिए

विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा और यदि ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गयी किसी आदेशिका के निष्पादन, के या अपराध के किये जाने का निवारण करने के, या बल्वे या दंगे को दबाने के या ऐसे व्यक्ति को जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अनुसार, जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिये विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य से विरत रहने के लिये या अपने कब्जे में की या अपने प्रबंधाधीन किसी सम्पत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिये निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा। यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रूपये तक का हो सके या दोनों से दण्डित किया जायेगा और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षोभ को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो उसकी या बल्वा या दंगा कारित करती हो या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा-291 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जिसकी किसी न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिये व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो ऐसे व्यादिष्ट किये जाने पर किसी लोक न्यूसेन्स को पुनरावृत्ति करेगा या उसे चाले रखेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

23. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 20.04.2007 को समय

01:40 बजे दिन में पवन कुमार पाण्डेय पुत्र जगमोहन पाण्डेय निवासी कोटवा मोहम्मदपुर, थाना कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर जो अपने दल के 114 अकबरपुर विधान सभा के घोषित प्रत्याशी थे। निर्वाचन आयोग भारत सरकार के पत्र सं०-464/NST/2007 PL No.-1 दिनांकित 07.01.2007 तथा रामकृष्ण उत्तम, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के पत्र सं०-205/जे०ए०/शांति व्यवस्था/2007 दिनांक 09.04.2007 द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-144 दं०प्र०सं० दिनांक 09.04.2007 से 20.05.2007 तक प्रभावी है एवं जिसका प्रचार-प्रसार भी विभिन्न माध्यमों से किया गया है एवं आदेश की प्रतिलिपि समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भेजी गयी है, का उल्लंघन करते हुए एवं अपने साथ कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को जिनकी संख्या 1200-1400 के साथ जुलूस रूप में नारेबाजी करते हुए अकबरपुर-टाण्डा मार्ग से होते हुए नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास आये। जलुस के कारण अकबरपुर-टाण्डा मार्ग का यातायात तथा दीवानी कचेहरी के आने-जाने का मार्ग अवरूद्ध हो गया एवं उक्त मार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को क्षोभ हो रहा था। श्री पवन कुमार पाण्डेय उक्त से जुलूस निकालने की व लाने की अनुमति मांगी गयी तो नहीं दिखा सके। उल्लेखनीय है कि उपजिलाधिकारी, सदर, अम्बेडकरनगर द्वारा भी जुलूस निकालने व लाने की अनुमति कोई आदेश कोतवाली में नहीं भेजा गया था। जबकि स०प्रा० के नामांकन तिथि पर सभा द्वारा आवेदक पर अनुमति प्रदान करते हुए उसकी प्रति थाने पर भेजी गयी थी। उल्लेखनीय है कि धारा-144 दं०प्र०सं० के आदेश बिन्दु सं०-4 में जो स्पष्ट रूप से अंकित है कि जुलूस की सूचना समय से पुलिस अधिकारियों को भी दी जायेगी। परन्तु कोई सूचना प्रत्याशी श्री पवन कुमार पाण्डेय ने उपजिलाधिकारी, सदर, अम्बेडकरनगर द्वारा नहीं दी गयी थी। इस प्रकार, श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डाली गयी।

24. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 **एस०आई० श्रीप्रकाश सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बयान दिया है परन्तु साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि, "उसे याद नहीं है कि इस मुकदमे के पहले उसने कौन मुकदमा लिखा था और इस मुकदमे के बाद कौन-सा मुकदमा लिखा, ये भी याद नहीं। इस मुकदमे के जो वादी है, उनके साथ उसने काम किया था, वह उस समय उसके प्रभारी निरीक्षक थे। घटना के संबंध में मूल

तहरीर दिनांक 22.04.2007 को समय 00:10 पर मिली। ये तहरीर उसे प्रभारी निरीक्षक ने दिया था। घटना किस तारीख की है, इस समय याद नहीं है। पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। घटना से दो दिन बाद प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) लिखी गयी। विलम्ब का कारण उसने प्रभारी निरीक्षक से पूँछा था, जिसका उल्लेख चिक में अंकित है। एफ०आई०आर० विलम्ब से लिखी गयी थी। मूल तहरीर में विलम्ब का कारण नहीं लिखा है। मूल चिक एफ०आई०आर० में वादी के हस्ताक्षर कराये थे, मूल चिक पत्रावली पर नहीं है। तहरीर, वादी मुकदमा ने कब दिया, इसका इन्द्राज जी०डी० में करते हैं। इस समय मूल जी०डी० उसके सामने नहीं है।"

25. पी०डब्लू० 2 **सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक कोमल नाथ सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बयान दिया है परन्तु कथित साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि, "वर्ष, 2007 में चुनाव नामांकन के समय उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी। वर्ष, 2007 में वह कोतवाली अकबरपुर में तैनात था। उसे याद नहीं है कि कोतवाली अकबरपुर में किस सन् में तैनात था। घटना वाले दिन उसकी ड्यूटी कोतवाली में ही थी। विधान सभा चुनाव वर्ष, 2007 में चुनाव के समय किस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, वह नहीं बता सकता। वह इस मुकदमे की विवेचना दिनांक 10.08.2007 को ग्रहण किया था। इस मुकदमे का प्रारम्भिक विवेचक वह नहीं था। प्रारम्भिक विवेचक धीरेन्द्र गौतम थे। धीरेन्द्र गौतम द्वारा दो पर्चे पर्चा नं०-1 व पर्चा नं०-2 किता किया गया था। उन्हीं के द्वारा ही नक्शा नजरी बनाया गया था तथा बयान भी अंकित किये गये थे। जिस दिन वह विवेचना ग्रहण किया, उस दिन किसी का बयान नहीं लिया था। जिस दिन उसने जो विवेचना किया, उस दिन की तश्कीरा जी०डी० में अंकित नहीं किया है। जिस दिन जो विवेचना उसने किया, उस दिन के पर्चे में विवेचना शुरू करने व समाप्त करने का समय अंकित नहीं किया है। इस मुकदमे से संबंधित घटना स्थल का निरीक्षण दौरान विवेचना उसने नहीं किया था। उसने विवेचना ग्रहण करने के पश्चात घटना स्थल के इर्द-गिर्द कई दुकाने हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। उसने किसी का बयान अंकित नहीं किया था। नक्शा नजरी के बारे में वह कुछ नहीं बता सकता। घटना स्थल के अगल-बगल के लोगों का उसने भी कोई बयान अंकित नहीं किया है। उसके द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय दाखिल किया गया है। घटना दिनांक 20.04.2007 की सूचना है, जबकि सूचना दिनांक 22.04.2007 की है। इसके बारे में वादी मुकदमा

से कोई पूँछताछ नहीं किया था। उसने गवाह चन्द्रिका यादव व मित्रसेन सिंह का बयान अंकित किया। जिसमें घटना के समय का जिक्र नहीं है। आरोप-पत्र उसने दाखिला किया है परन्तु आरोप-पत्र में पूर्व विवेचक धीरेन्द्र गौतम का नाम साक्षी के सूची में अंकित नहीं किया गया है। दौरान विवेचना वादी द्वारा आचार संहिता के नोटिफिकेशन की प्रति मुझे नहीं दी गयी थी। नोटिफिकेशन की प्रति पत्रावली में उसने दाखिल नहीं किया है। इस मुकदमे में पर्चा नं०-1 व 2 को छोड़कर शेष पर्चे उसके हस्तलेख में किता किया गया है। यह कहना सही है कि मौके पर जाकर कोई विवेचना नहीं किया है।"

26. इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 3 **हे०कां० चन्द्रिका यादव** द्वारा भी जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए बयान दिया गया कि घटना के समय वादी मुकदमा डी०सी० श्रीवास्तव कोतवाली अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक थे। वह उनका हमराही था और कौन-कौन से हमराही ओर थे, हमें याद नहीं है। घटना के समय किसकी सरकार थी, हमें नहीं पता है। शायद बसपा की सरकार थी। घटना के संबंध में जो तहरीर दी गयी है। वह उसके सामने नहीं लिखी गयी थी। किस तारीख को लिखी गयी है, वह भी नहीं जानता। हमराही होने के कारण जैसा वादी मुकदमा ने कहा वैसा हमने बयान दिया। हमराही होने के कारण वह प्रभारी निरीक्षक के साथ-साथ रहता था। उसकी ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब के साथ लगी थी, नामांकन स्थल पर नहीं थी। नामांकन स्थल से कुछ दूरी पर अकबरपुर व टाण्डा का मुख्य मार्ग है। नामांकन के समय मुख्य मार्ग बन्द नहीं किया गया। आने-जाने वाले लोग आ जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर बैरीकेटिंग नहीं की गयी थी। मुख्य मार्ग के पूरब तरफ सारी ऑफिस है। वहाँ से भी लोग आ-जा रहे थे। पूरे दिन कचेहरी, जिला अस्पताल व विकास भवन आदि कार्यालय से आने-जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। नामांकन स्थल पर अन्दर नामांकन करते प्रत्याशी व प्रस्तावक जाते हैं और वहीं गये थे। वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। पवन पाण्डेय के नामांकन में उनके साथ कितने कार्यकर्ता थे, वह नहीं बता सकता। घटना किस जगह की है, इसका कोई निश्चित स्थल नहीं है। इस मुकदमे में उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

27. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू० 1 एस०आई० श्री प्रकाश सिंह, पी०डब्लू० 2 उपनिरीक्षक कोमल नाथ सिंह व पी०डब्लू० 3 हे०कां० चन्द्रिका यादव द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी

मुख्य परीक्षा व जिरह में परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये हैं, जिससे अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

28. यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार के पत्र सं०-464/NST/2007 PL No.-1 दिनांकित 07.01.2007 तथा रामकृष्ण उत्तम, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के पत्र सं०-205/जे०ए०/शांति व्यवस्था/2007 दिनांक 09.04.2007 द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-144 दं०प्र०सं० दिनांक 09.04.2007 से 20.05.2007 तक प्रभावी था एवं जिसका प्रचार-प्रसार भी विभिन्न माध्यमों से किया गया है एवं आदेश की प्रतिलिपि समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भेजी गयी थी। उपरोक्त का उल्लंघन अभियुक्त द्वारा किया गया परन्तु अभियोजन द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के पत्र सं०-464/NST/2007 PL No.-1 दिनांकित 07.01.2007 तथा रामकृष्ण उत्तम, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के पत्र सं०-205/जे०ए०/शांति व्यवस्था/2007 दिनांक 09.04.2007 की कोई प्रति पत्रावली में दाखिल नहीं की गयी, जिससे अभियोजन कथानक कोई समर्थन प्राप्त हो सके। जबकि यह दायित्व अभियोजन का था कि वह सर्वोत्तम साक्ष्य से अपने कथानक को सिद्ध करें।

29. यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा देवचन्द्र श्रीवास्तव को भी परीक्षित नहीं कराया गया, जिसके कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

30. अतः उपरोक्त निष्कर्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परीक्षित साक्षीगण के कथनानुसार सम्पूर्ण अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न होता है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर जो साक्ष्य आया है, उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह साबित करता हो कि अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 20.04.2007 को समय 01:40 बजे दिन में बहद स्थान राबी बहाउद्दीनपुर, थाना कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में लोप डालकर बाधा डाली एवं प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करने के साथ न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात उसको चालू रखा गया। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है।

31. इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण के विश्लेषण तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291

भा०दं०सं० का अपराध सिद्ध नहीं होता है। अतः अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय संदेह का लाभ पाते हुए प्रस्तुत प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त पवन कुमार पाण्डेय को अपराध अन्तर्गत धारा-186, 187, 188 व 291 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा-437-ए. दं०प्र०सं० के तहत मु० 20,000-/- (बीस हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः-05.07.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः-05.07.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082